Dispatch No. 400
Dated 09-09-2025
H.R.C. Patarchatta

उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

निविदा के माध्यम से केंद्र के आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती एवं प्लम बागों के बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर 02 वर्ष हेतु दिनांक 01.10.2025 से 31.08.2027 तक आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 11.09.2025 से 22.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु.360.00 कुल रु. 2,360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद/बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में जमा करते हुये प्राप्त किया जा सकता हैं। एवं निविदायें दिनांक 23.09.2025 को कार्यालय समयावधि में (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद व तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 24.09.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 22.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे) में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र फीस रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने हेतु **रु.01 लाख तक की निविदा हेतु रु. 5,000.00, 01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रु. 50,000.00, रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक की निविदा हेतु रु. 1,00,000.00, रु. 10 लाख से रु. 20 लाख तक की निविदा हेतु 1,50,000.00, रु. 20 लाख से रु. 50 लाख तक की निविदा हेतु रु. 2,00,000.00, रु. 50 लाख से अधिक की निविदा हेतु रु. 5,00,000.00** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय**, पंतनगर के नाम *भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर* शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदादाता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा अर्थात् एक निविदा प्रपत्र पर केवल एक ही लाट की निविदा धनराशि स्वीकार की जायेगी। निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भली–भॉति निरीक्षण कर ही निविदा डालें, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

बागों का विवरणः–

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18, 22 एवं 23 नम्बर	46 एकड़
	लाट सं0–3	आम व चीकू क्षेत्र सं0 – 5	12 एकड़
	लाट सं0–4	आम क्षेत्र सं0 – 8 एवं 9 (कटहल 03 पेड़, लीची 10 पेड़ एवं चीकू 5	27 एकड़
	लाट सं0–5	आम क्षेत्र सं0 – 10,11	40 एकड़
	लाट सं0–6	आम व कटहल क्षेत्र सं0– 12,13,14 (प्रक्षेत्र सं0 13 में स्थित नाशपाती के 225 पेड़ सहित)	41 एकड़
	लाट सं0–7	आम क्षेत्र सं0 12 बी एवं (अलूचा) क्षेत्र सं0– 12ए	6.5 एकड़
	लाट सं0–8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15	12 एकड़

सयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर
उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा

निविदा की शर्ते

1. बागों के ठेके की अवधि दिनांकः 31.08.2027 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 11.09.2025 से 22.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु.360.00 कुल रु. 2,360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद/बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में जमा करते हुए प्राप्त किया जा सकता हैं।
4. निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 23.09.2025 को निविदा बॉक्स में प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे तक डाली जायेंगी एवं दिनांक 24.09.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 22.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे) में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र फीस रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने हेतु **रु. 01 लाख तक की निविदा हेतु रु. 5,000.00, 01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रु. 50,000.00, रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक की निविदा हेतु रु. 1,00,000.00, रु. 10 लाख से रु. 20 लाख तक की निविदा हेतु 1,50,000.00, रु. 20 लाख से रु. 50 लाख तक की निविदा हेतु रु. 2,00,000.00, रु. 50 लाख से अधिक की निविदा हेतु रु. 5,00,000.00** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पैन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. निविदादाता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा अर्थात् एक निविदा प्रपत्र पर केवल एक ही लाट की निविदा धनराशि स्वीकार की जायेगी।
7. निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बॉक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।
8. प्रथम उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किये गये धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को प्रथम उच्चतम निविदादाता द्वारा प्रथम 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त निविदा समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रु. 2,360/- (रुपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की निविदा प्रपत्र फीस (Tender Form Fee) वापस नहीं की जायेगी।
9. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
10. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) का बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के पश्चात् अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी, यदि सफल निविदादाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त केंद्र द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को बाग पर कब्जा दिये जाने से सम्बन्धित पत्र जारी कर इसकी सूचना ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप के माध्यम से दी जायेगी। ठेकेदार द्वारा जिसके उपरान्त बाग पर कब्जा लिया जा सकेगा।
12. सफल निविदादाता को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
13. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) दिनांक 30.11.2025 तक जमा करनी होगी।
14. सफल निविदादाता को प्रथम वर्ष की फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, सुरक्षा धनराशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
15. सफल निविदादाता को द्वितीय वर्ष उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.09.2026 तक जमा करनी होगी।
16. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि की शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 28.02.2027 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल निविदादाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।

Cont.

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र

17. उपरोक्त बिंदु संख्या 13, 15 एवं 16 में वर्णित किश्तों की धनराशि के पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) सफल निविदादाता द्वारा बाग पर कब्जा लेने के समय जमा कराया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 चैक में अंकित तिथि से 15 दिन के अन्दर बैंक में जमा कराया जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि चैक की धनराशि बैंक द्वारा निविदादाता के हस्ताक्षर न मिलने एवं खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण चैक बाउन्स होता है तो निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा सफल निविदादाता के विरूद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसी दशा में सफल निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

18. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि की सभी किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19. सफल निविदादाता द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किश्तों का देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त के धनराशि तक जमा करना आवश्यक होगा।

20. सफल निविदादाता किसी अन्य को बाग नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, सफल निविदादाता का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

21. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

22. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को **प्रत्येक वर्ष** देनी होगी। केन्द्र द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु फलों की निम्नलिखित मात्रा आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

क्र0 सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की मात्रा (वर्ष 2026 एवं वर्ष 2027 में पृथक्–पृथक)	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	सं0 – 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1000 कि0ग्रा0	100 फल
2.	लीची	सं0 –2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18, 22 एवं 23 नम्बर	1500 कि0ग्रा0	500 फल
3.	आम व चीकू	सं0 – 5	आम 200 कि0ग्रा0 चीकू 200 कि0ग्रा	100 फल 50 फल
4.	आम	सं0 – 8एवं 9 (कटहल 03 पेड़, लीची 10 पेड़ एवं चीकू 5 पेड़)	आम चौसा एवं लंगड़ा 800 कि0ग्रा0 अन्य किस्म 400 कि0ग्रा0	100 फल
5.	आम	सं0 – 10,11	आम 1500 कि0ग्रा0	100 फल
6.	आम व कटहल	सं0– 12,13,14 (प्रक्षेत्र सं0 13 में स्थित नाशपाती के 225 पेड़ सहित)	आम 1400 कि0ग्रा0 व कटहल 100 कि0ग्रा0	200 फल –
7.	आम एवं प्लम (अलूचा)	सं0– 12 बी एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0–12ए	आम 300 कि0ग्रा0 प्लम 300 कि0ग्रा0	100 फल 200 फल
8.	नाशपाती कटहल व लीची	सं0– 6,7,15	नाशपाती 200 कि0ग्रा0 लीची 150 कि0ग्रा0 व कटहल 50 कि0ग्रा0	100 फल 100 फल –

23. सफल निविदादाता द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की पूरी मात्रा केन्द्र को न दिये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को उक्त की भरपाई निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिवर्ष केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।

24. ठेके की शर्तों के पालनार्थ सफल निविदादाता को स्वयं के व्यय पर नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के साथ रु. 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध कराना होगा। अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित होने के उपरान्त सफल निविदादाता को अनुबन्ध पत्र को स्वयं के व्यय पर उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना होगा।

25. सफल निविदादाता को अपना तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।

Cont.

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा

26. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके सफल निविदादाता को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर सफल निविदादाता अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो सफल निविदादाता से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। सफल निविदादाता से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।

27. सफल निविदादाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की कॉट–छॉट की जायेगी।

28. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल–पौध तैयार करने हेतु आम, प्लम एवं नाशपाती बाग से साइन लेने एवं लीची बाग में एयर लेयरिंग बांधने पर सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

29. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त सफल निविदादाता को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि सफल निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित सफल निविदादाता से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

30. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

31. सफल निविदादाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यो की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। सफल निविदादाता को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित सफल निविदादाता से वसूली की जायेगी।

32. सफल निविदादाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

33. सफल निविदादाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।

34. सफल निविदादाता को केंद्र के मुख्य द्वार का ही उपयोग करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोडकर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।

35. सफल निविदादाता को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि सफल निविदादाता नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 35 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता..

पूरा नाम..

पिता का नाम..

आधार न0 ....

ग्राम एवं पो0..

तहसील ....

जनपद..

मो0 न0 ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचटटा

सत्र 2025–26 में क्रीड़ा स्टाफ काउन्सलरों हेतु आवेदन फार्म

सेवा में,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

द्वारा- उचित माध्यम

कृपया आपके पंत्राक सं० ....दिनांक..................के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शारीरिक शिक्षा अनुभाग में संचालित निम्न खेलों में से किन्ही दो खेलों के क्रीड़ा स्टाफ काउन्सलर हेतु अपना आवेदन पत्र प्रेषित किया जा रहा है। मैने ....खेल में ....स्तर की प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया है।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

हस्ताक्षर –..........................

दिनांक – ....

नाम – ....

पद– ....

विभाग – ....

महाविद्यालय –........................

मोबाइल न० –.....................

संस्तुति सहित अग्रसारित।

हस्ताक्षर एवं मोहर सम्बन्धित अधिष्ठाता/निदेशक